



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1- मुजीब खां पुत्र हबीब खां 2- चन्द्र प्रकाश लाल बंदर पुत्र स्व० विशम्भर दयाल निवासीगण कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन 3- दयानन्द उर्फ भन्ते पुत्र सुखलाल निवासी अम्बेडकर नगर बाई पास पुखरांया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात मूल निवासी कस्बा व थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा अपराधिक षडयंत्र के लिये अपहरण करने की घटना के सम्बन्ध में थाना कोत० कालपी में मु०अ०सं० 207/2008 (वाद संख्या – 63/2011) धारा 364/120 बी भादवि व 3(2)v एससी एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 20.11.2023 को मा० न्यायालय एडीजी/स्पे० एससी एसटी एक्ट कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगणों में से 02 अभियुक्त मुजीब खां एवं दयानन्द उपरोक्त को दोषी पाते हुये 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल रणकेन्द्र
भदौरिया



कोर्ट पैरोकार अनुज कुमार

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice